तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **मफाराम बनाम उगमदेवी वगैरह, मुकदमा संख्या :– 97 / 2024**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
23.06.2025	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मौखुपुरा पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर में मुझ प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 2728, 3564 / 2729 जुमले रकबा 0.2325 हैक्टेयर की स्थित है। जिसके राजस्व रेकर्ड में मेरा 1 / 3 हिस्सा दर्ज है। नकल नवीन जमाबंदी संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थी ने एक वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है जो मजबूत आधारों पर आधारीत होने से प्रार्थी के सफल होने की पूर्ण संभावना है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खरीदसुद आराजी है जिससे प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा है तथा वादग्रस्त आराजी शहर सांचौर की आबादी भूमियों व नेशनल हाईवें के नजदीक होने से बेशकीमती भूमि है। प्रार्थी द्वारा भूमि खरीदने के कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थी से अदावदी रखते है तथा वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होते हुए भी अप्रार्थीगण आयें दिन मेरे कब्जा काश्त में दखलंदाजी करते रहते है तथा मेरे उपयोग व उपभोग में व्यवधान पैदा कर रास्ता बंद कर देते है, जबकि मैं उक्त आराजी का एक रेकर्डेड खातेदार हूं तथा कानून की मंशानुसार प्रत्येक खातेदार का इंच इंच भूमि समान अधिकार व उपयोग का अधिकार होने से अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कतई कानूनी अधिकार न तो था एव न ही है। मैं वादग्रस्त आराजी का रेकॉर्डेड सहखातेदार होने से उक्त वादग्रस्त आराजी का बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी हूं इसलिए मुझ प्रार्थी ने एक वाद बाबत बंटवाड़ा का पेश कर रखा है। उक्त वादग्रस्त आराजी मुझ प्रार्थी की खरीदसुद कब्जासुदा मालिकाना हक हकूक की खातेदारी भूमि है तथा वक्त खरीद से मौके पर मेरा कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं वादग्रस्त खातेदारी आराजी के अन्दर मुझ प्रार्थी का रहवास है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। मैंने अपने बंट की भूमि की खरीद के बाद से खाद वगैरह डालकर, धोरा ढाल समतल कराकर उपजाउ व उपयोगी बनाया है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण अगर मुझ प्रार्थी को मेरी खरीदसुदा कब्जासुदा व कब्जासुदा खातेदारी की भूमि से बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरूद्व ढंग से बेदखल करने में सफल हो गए या वादग्रस्त आराजी का बैचान कर हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन दृव्य में किया जाना मुमकिन नही होगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्वान्त प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम मौखुपुरा के खेत खसरा नंबर 2728, 3564 / 2729 जुमले रकबा 0.2355 हैक्टेयर भूमि में इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण सादर फरमावें कि वे तफसीला मूल[illegible] आराजी में किसी प्रकार का अवैध कार्य नहीं करें [illegible] वादग्र[illegible] आराजी के अन्दर मौके पर प्रार्थी के बंटसुदा भूमि पर जबर[illegible] तारबंदी लगाकर या चिणों के टुकड़े वगैरह लगाकर कब्जा [illegible] एवं न किसी के मार्फत करावें तथा वादग्रस्त आराजी के अन्द[illegible] मौके पर प्रार्थी के बंटसुदा भूमि में कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न [illegible] झगड़ा नहीं करे तथा मुझ प्रार्थी को जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करे व वादग्रस्त आराजी के मौके पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तथा मेरे शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें तथा वादग्रस्त आराजी को बैचान, रहन, गिरवी, दान, तर्क नहीं करे अर्थात वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार हस्तान्तरीत नहीं करे तथा वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाय रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन, बलहीन व मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज फरमावें ।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीग का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा मौखुपुरा तहसील सांचौर के खेत खसरा नंबर क्रमशः 2728, 3564/2729 जुमले रकबा 0.2355 हैक्टेयर भूमि के रेकर्ड व मौके की की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner